न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जयपुर

अपील संख्या 78/2016 जिला सीकर ।

1. माया देवी पत्नी विजयसिंह राठौड, जाति राजपूत निवासी म0नं0 332, देवीनगर, न्यू सांगानेर रोड, गुर्जर की थडी, जयपुर (राज0)

अपीलान्ट्

बनाम

1. लक्ष्मी देवी पुत्री सूण्डाराम जाति कहार, निवासी तालाब की ढाणी, तन रैवासा तहसील दांतारामगढ, जिला सीकर (राज0) हाल आबाद हुसैनपुरा, जिला जयपुर (राज0)
2. भवंरलाल पुत्र सूण्डाराम
3. गुलाबी देवी पत्नी भगवानाराम
4. शंकर पुत्र भगवानाराम
5. पूरण पुत्र भगवानाराम
6. बोदू पुत्र भगवानाराम
7. सुवटी पुत्री सुण्डाराम
   समस्त जाति कहार निवासीयान तालाब की ढाणी, तन रैवासा, तहसील दांतारामगढ जिला सीकर (राज0)
8. सुरजी पुत्री सूण्डाराम जाति कहार निवासी तालाब की ढाणी, तन रैवासा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर (राज0) हाल आबाद जोबनेर जिला जयपुर (राज0)
9. हल्का पटवारी रैवासा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर (राज0)
10. उप पंजीयक पलसाना तहसील दांतारामगढ जिला सीकर (राज0)
11. तहसीलदार दांतारामगढ जिला सीकर (राज0)

रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरूद्ध निर्णय अपर जिला कलक्टर सीकर दिनांक 10.06.2013 अन्तर्गत राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76

उपस्थित–

1. वकील अपीलान्ट श्री हरलाल चौधरी।

निर्णय

दिनांक–10.03.2021

1. यह द्वितीय अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत अपर जिला कलक्टर सीकर के निर्णय दिनांक 10.06.2013 के खिलाफ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी एवं मियाद अधिनियम की धारा 05 के प्रार्थना पत्र के साथ दिनांक 15.09.2015 को प्रस्तुत हुई है।
2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपर जिला कलक्टर सीकर द्वारा शीर्षक अपील लिछमी देवी बनाम भंवरलाल में पारित निर्णय दिनांक 10.06.2013 के द्वारा अपील स्वीकार कर तहसीलदार दांतारामगढ द्वारा तस्दीक किया गया नामान्तकरण संख्या 1627 ग्राम रैवासा निरस्त कर प्रकरण अधीनस्थ तहसीलदार दांतारामगढ को रिमांड किया गया।
3. न्यायालय अपर जिला कलक्टर सीकर के उक्त अपीलाधीन निर्णय दिनांक 10.06.2013 से व्यथित होकर अपीलान्ट् द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर अपील अपीलान्ट् स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय अपर जिला कलक्टर सीकर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 10.06.2013 को निरस्त किये जाने एव नामान्तकरण संख्या 1627 यथावत रखे जाने की प्रार्थना की।
4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई । अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया। रेस्पोडेंट की ओर से कोई उपस्थित नही आया। अधिवक्ता अपीलांट् की बहस सुनी गई।
5. अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस तथ्य पर ध्यान नही दिया कि जिस नामान्तकरण की उनके समक्ष सुनवाई की जानी है उसे तस्दीक हुये 25 वर्ष की अवधि हो चुकी है परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य को जानने का प्रयास नही किया कि 25 वर्ष की अवधि के दौरान कितनी बार राजस्व रिकार्ड परिवर्तन हुआ है तथा वर्तमान राजस्व रिकार्ड की क्या स्थिति है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस तथ्य पर ध्यान नही दिया

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

Scanned by CamScanner

कि जिस व्यक्ति के पक्ष में सन 1990 में नामान्तकरण तस्दीक किया गया है उन व्यक्तियो द्वारा उचित प्रतिफल प्राप्त कर भूमि का विकय रजिस्टर्ड विकय पत्रो से दिगर व्यक्तियो को कर दिया है तथा उन्ही में से एक महिला झमरी देवी जो भूमि खसरा नम्बर 197, 198, 199 व 200 कुल किता 4 रकबा 2.42 है0 के 3/4 हिस्से की रिकार्डेड खातेदार काश्तकार थी जिससे उसका संपूर्ण हिस्सा 3/4 अपीलार्थीया को जरिये रजिस्टर्ड विकेय पत्र के भूमि कय कर ली जिसके आधार पर अपीलार्थीया के हक में सक्षम प्राधिकारी द्वारा नामान्तकरण भी तस्दीक कर दिया गया तथा उपरोक्त भूमि की 3/4 हिस्से की अपीलार्थीया रिकार्डेड काबिज खातेदार काश्तकार थी उसके बावजूद अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थीया को सुनवाई का कोई अवसर प्रदान नही किया। न्यायालय के समक्ष भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत कोई अपील प्रस्तुत की जाती है तो अपील के नोटिस प्रभावित पक्षकारो को जारी किये जाने का प्रावधान है परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थीया व अन्य रिकार्डेड खातेदारो को कोई नोटिस जारी नही किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में यह अंकित किया है कि नामान्तकरण पर वंशावली अंकित नही है तथा फौती नामान्तकरण ग्राम पंचायत द्वारा तस्दीक किया जाना चाहिये। इसलिये नामान्तकरण निरस्त योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नामान्तकरण पर कोई आदेश करने से पूर्व इस तथ्य की जांच करनी चाहिये थी कि नामान्तकरण कितने वर्ष पुराना है तथा नामान्तकरण जैसी संक्षिप्त विचारण की प्रकिया में किसी व्यक्ति को खातेदारी प्रदान की जा सकती है। अतः प्रकरण के तथ्यों एवं गुणावगुण को दृष्टिगत रखते हुये प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम एवं धारा 96 सी.पी.सी. को स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने की इजाजत प्रदान की जावे तथा विलम्ब के संबंध में लचिला रूख अपनाते हुये विलम्ब को क्षमा किया जाकर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 10.06.2013 निरस्त फरमाया जावे तथा नामान्तकरण संख्या 1627 ग्राम रैवासा जो मृतक सूण्डाराम का विरासत का तस्दीक किया गया है को यथावत रखा जावे।

6. मैनें प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया। अपीलांट् के योग्य अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का गहनतापूर्वक अवलोकन किया गया। सर्वप्रथम प्रकरण के गुणावगुण व तथ्यों एवं प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम एवं धारा 96 सी.पी.सी. के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये विलम्ब के संबध में लचिला रूख अपनाते हुये दोनों प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाकर अपील प्रस्तुत करने की इजाजत प्रदान की जाती है एवं अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को क्षमा किया जाता है।प्रकरण में मुख्य विवाद मृतक सूण्डा की विरासत के नामान्तरकरण संख्या 1627 ग्राम रैवासा का है। रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय अपर जिला कलक्टर सीकर के समक्ष अपील पेश कर अपीलांट् (वर्तमान रेस्पोडेंट सं0 1) एवं रेस्पोडेंट संख्या 1 ता 7 (वर्तमान रेस्पोडेंट सं0 2 से 8) के पूर्वज सुण्डा पुत्र नन्दा के खाते कब्जे काश्त की कृषि भूमि पुराने खसरा नम्बर 243, 392, 584, 591 कुल किता 4 रकबा 3.11 है0 वाके ग्राम रैवासा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर जिसके नये खसरा नम्बर 197, 198, 199, 200, 553, 554, 859, 860, 863 कुल किता 9 रकबा 3.11 है0 कायम किये गये। सूण्डा का निवर्सयती स्वर्गवास हो जाने के पश्चात विरासत का नामान्तकरण संख्या 1627 रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 ता 5 के पति एवं पिता भगवानाराम के नाम से तहसीलदार दांतारामगढद्वारा स्वीकृत किया गया। मृतक सूण्डा की पुत्रियो अपीलांट(वर्तमान रेस्पोडेंट संख्या 1) एवं रेस्पोडेंट संख्या 6 व 7(वर्तमान रेस्पोडेंट संख्या 7 व 8) जो कि सुण्डा की प्रथम श्रेणी की वारिस थी। विरासत में अंकित नही किये जाने से नामान्तकरण संख्या 1627 ग्राम रैवासा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर निरस्त कर मृतक सूण्डा पुत्र नन्दा के समस्त प्रथम श्रेणी के वारिसान के नाम नामान्तकरण तस्दीक किये जाने की प्रार्थना की गई। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय अपर जिला कलक्टर सीकर ने निर्णय दिनांक 10.06.2013 द्वारा अपील स्वीकार की जाकर नामान्तरकरण संख्या 1627 ग्राम रैवासा जो सुण्डा पुत्र नन्दा कौम कहार की मृत्यु होने पर विरासत का भरा गया है, को निरस्त किया जाकर प्रकरण मृतक सुण्डा पुत्र नन्दा के समस्त वारिसान के नाम बाद जांच नामान्तकरण तस्दीक करने हेतु तहसीलदार दांतारामगढ को रिमाण्ड किया गया।

7. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से प्रतीत होता है कि रेस्पोडेंट संख्या 1 के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष नामान्तकरण 1627 के विरूद्ध दिनांक 5.3.2013 को अपील प्रस्तुत की गई है जो लगभग 20 वर्ष पश्चात प्रस्तुत की गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपील के साथ प्रस्तुत धारा 5 के प्रार्थना पत्र को निस्तारित किये बगैर तथा अपील के

प्रतिलिपि संभागीय ... जयपुर

Scanned by CamScanner

अन्दर मियाद घोषित किये बिना अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है। मृतक खातेदार सूण्डाराम पुत्र नन्दा की मृत्यु के पश्चात उसकी विरासत का नामान्तकरण संख्या 1627 उनके वारिसान के नाम तस्दीक किया गया था जिसमें से भूमि खसरा नम्बर 197,198,199 एवं 200 कुल किता 4 रकबा 2.42 है0 वाके ग्राम रैवासा को उनके वारिसान द्वारा जरिये विकय पत्रो के माध्यम से दिगर व्यक्तियो को किये जाने से राजस्व रिकार्ड में परिवर्तन होते हुये भूमि खसरा नम्बर 197,198,199 एवं 200 कुल किता 4 रकबा 2.42 है0 वाके ग्राम रैवासा में से हिस्सा 3/4 हिस्से की खातेदारी जरिये विकय लेख दिनांक 19.3.2010 से अपीलांट के नाम स्वीकार हुई तथा उक्त भूमि की अपीलांट् रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है। हम समझते है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नामान्तकरण संख्या 1627 के संबंध में अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व वर्तमान राजस्व रिकार्ड का अवलोकन नही किया गया है ना ही राजस्व रिकार्ड में दर्ज खातेदारो को सुना गया। अपीलांट् भूमि खसरा नम्बर 197,198,199 एवं 200 कुल किता 4 रकबा 2.42 है0 वाके ग्राम रैवासा में से हिस्सा 3/4 की रिकार्डेड कायिज खातेदार काश्तकार थी जिन्हें प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के परिपेक्ष्य में सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर दिया जाना न्यायिक रूप से आवश्यक था। इस प्रकार बिना वर्तमान राजस्व रिर्कार्ड को देखे व बिना दर्ज खातेदारो को सुने केवल मात्र मृतक सूण्डा के वारिसान के नाम बाद जांच नामान्तकरण तस्दीक किये जाने हेतु पारित अपीलाधीन आदेश त्रुटिपूर्ण होने से आंशिक संशोधन का मोहताज है तथा अपील स्वीकार किये जाने योग्य है।

8. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय अपर जिला कलक्टर सीकर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 10.06.2013 अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण प्रथम अपीलीय न्यायालय अपर जिला कलक्टर सीकर को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि सर्वप्रथम मियाद के बिन्दु को निस्तारित करे तथा विवादित नामान्तकरण से प्रभावित समस्त दर्ज खातेदारो की सुनवाई कर विधि के प्रावधानों के तहत पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करे।
9. अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड निर्णय की प्रति के साथ पालनार्थ लौटाया जावे। इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद पूर्ति लेख भण्डार हो

(सेवा राम स्वामी)
अति. सम्भागीय आयुक्त
जयपुर

10. निर्णय आज दिनांक 10.03.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सेवा राम स्वामी)
अति. सम्भागीय आयुक्त,
जयपुर

Scanned by CamScanner